न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1307

1. मूलचन्द पुत्र नत्थूराम (मृतक),
   1/1. विजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मूलचन्द,
   1/2. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 मूलचन्द,
   1/3. श्रृंगारी देवी पत्नी स्व0 मूलचन्द,
   समस्त निवासीगण ग्राम हेजमपुरा, तहसील व जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
   1/4. सुनीता देवी पुत्री स्व0 मूलचन्द पत्नी श्री राजबीर सिंह जाति जाट निवासी चिडासन तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. संजनसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी ग्राम हेजमपुरा, तहसील व जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।
2. रवि कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम हेजमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. शेरसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ग्राम हेजमपुरा, तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. बिमला पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम हेजमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट्स

5. पतोरी देवी पत्नी पितराम,
6. रणसिंह पुत्र टिकूराम,
7. विधाधर पुत्र टिकूराम,
8. सुनील पुत्र पितराम,
   समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम हेजमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

— तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 68/2025 निर्णय दिनांक 25.03.2025 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से।
4. तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 27.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 25.03.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 28.04.2025 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 25.03.2025 को कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल इण्डाली की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम हेजमपुरा के हाल भूमि

खसरा नम्बर 505/267 व 319 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि खसरा नम्बर 504/267 से रविकुमार के घर तक जाता है, यह रास्ता मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है। इस रास्ते को सह–खातेदारों के सहमति पत्र मय रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25.03.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 25.03.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 25.03.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया जाता। मौजूदा प्रकरण में अपीलांट भूमि खसरा नम्बर 505/267 रकबा 3.7088 है०, व खसरा नं0 319 रकबा 4.1100 है0 के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित है, भूमि पर उनका कब्जा है तथा भूमि का वो उपयोग उपभोग करते है। उपरोक्त भूमि में उन्होने रहवास हेतु मकान बना रखा है लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार झुन्झुनूं (राज०) ने बिना किसी आधार के बिना कोई रास्ता हुए कुछ व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये मिलीभगत कर रंजिश पूर्वक कार्यवाही करवाई है। उक्त तथ्य पर उपखण्ड अधिकारी ने कोई ध्यान नही दिया और अपीलांट की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि तहसीलदार झुन्झुनूं (राज०) द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो किसी विधिक आधार पर आधारित नही थी बल्कि अपीलार्थीगण के सह काश्तकार रवि कुमार के निर्देशानुसार व उसके दबाव व प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट

अति अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार से बनवाई गई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि मौके पर खसरा नं0 319 व 505/267 मे से कभी कोई रास्ता नही रहा तथा रवि कुमार अपने राजनैतिक प्रभाव से अपने घर तक अपीलांटस की भूमि में से रास्ता कायम करवाया है। जबकि वो भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसे रवि कुमार को रास्ता कायम करवाने का कोई अधिकार नही था। लेकिन उसके द्वारा हल्का पटवारी, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी से मिलीभगत कर अपीलाधीन रास्ता कायम करवाया है। जबकि उपरोक्त तथाकथित रास्ते के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त रास्ता खसरा नं0 319 के बीच मे लाकर छोडा गया है जिसका कोई विधिक आधार नही है। राज्य सरकार की कतई यह मंशा नही थी कि अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 का दुरूपयोग कर कोई मनमाने तरीके से रास्ता कायम करवाये। मौजूदा प्रकरण मे भी रेस्पोडेन्ट स० 2 व 3 ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपीलार्थीगण की भूमि मे से उन्हे बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपने घर तक स्वयं की खातेदारी मे ही रास्ता कायम करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि मौके पर कभी कोई रास्ता नही रहा है। अन्यथा भी किसी खातेदार के खेत मे से बिना किसी आधार के अनेकों रास्ते कायम नही किये जा सकते। उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर व तहसीलदार द्वारा बनाई गई गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलान्टस की भूमि मे से जो रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट मे दर्शाया गया है उस रास्ते का कोई वजूद नही है। क्योकि वो रास्ता ना तो आगे से कोई आवागमन के रूप मे काम मे आ रहा है तथा ना ही अन्य किसी पडोसी खातेदारों को उक्त रास्ते का कोई उपयोग व उपभोग है। इसके बावजूद हल्का पटवारी व तहसीलदार की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त रास्ता कायम कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज०) ने अपने आदेश मे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कही भी यह अंकन नही है, कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व मे प्रचलित हुए बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान हो। उसके बावजूद राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र मे अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है कि अपीलार्थीगण की उपरोक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए अपीलान्टस की भूमि में से एक नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये है जो पूर्णता औचित्यहीन है जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थीगण की भूमि में से रंजिशवश प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थीगण की खातेदारी समाप्त करना है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही थी जिससे लेशमात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई प्रचलित रास्ता रहा हो या वर्तमान मे कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम में आ रहा हो। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि मे से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है, कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा। उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उसकी प्रति सबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार झुन्झुनूं (राज०) व उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज०) द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में कही यह अंकन नही किया कि उक्त खसरा नम्बरों में जो रास्ता कायम किया जा रहा है उसकी चौडाई कितनी होगी तथा उसकी लम्बाई कितनी होगी तथा प्रभावित खातेदार की भूमि में उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित किये जा रहे है तो उसके बदले में उसे क्या मुआवजा दिया जायेगा। इसका भी कही कोई अंकन नही है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण को उपरोक्त अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नही थी दिनाक 21.04.2025 को वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि निकलवाई उससे उन्हे जानकारी हुई कि अपीलार्थीगण की भूमि मे से बिना किसी आधार के रास्ता कायम किया गया है। उसके पश्चात बिना किसी देरी के अपीलाधीन आदेश व पत्रावली की नकल निकलवाकर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 25.03.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं (राज०) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 25.03.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 25.03.2025 को कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल इण्डाली की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम हेजमपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 505/267 व 319 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि खसरा नम्बर 504/267 से रविकुमार के घर तक जाता है, यह रास्ता मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है। इस रास्ते को सह–खातेदारों के सहमति पत्र मय रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25.03.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता दो खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं सह–खातेदारों के सहमति पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त जयपुर आयुक्त
जयपुर